न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– आशाराम डूडी आर.ए.एस.

अपील संख्या 2006/00100 (88/2006) 75 एलआरएक्ट

खेताराम पुत्र श्री चौथमल जाति ब्राम्हण निवासी नेठराना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ। –अपीलाण्ट

बनाम

1. महावीर प्रसाद वल्द पन्नाराम जाति रेगर निवासी बिहारीपूरा बास भादरा तह0 भादरा जिला हनुमागनढ।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा –रेस्पोडेण्ट

विरूद्ध निर्णय दिनांक 22.06.85 उपजिलाधीश (राजस्व) नोहर प्र0 सं0 निल/1985

पत्रावली महावीर प्रसाद वल्द पन्नाराम जाति रेगर निवासी बिहारी पुराना बास

श्री विजय कौशिक अधिवक्ता अपीलाण्ट

श्री राजपाल झोरड़ अधिवक्ता रेस्पो0 1

श्री मांगेराम गोदारा अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 2

निर्णय दिनांकः–28.02.2020

1. अपीलाण्ट ने यह अपील उपजिलाधीश (राजस्व) नोहर के आदेश दिनांक 22.06.1985 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है जिसके द्वारा चक 4 एनटीआर मुरब्बा नं. 22 के किला नं. 1 ता 7 की व 19 की कुल 2.024 है. भूमि रेस्पो0 को आवंटित की गई है।
2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि चक 4 एनटीआर मु. नं. 22 किला नं. 1 ता 7 की 1.771 है0 किला नं. 19 की .253 है. कुल 2.023 है. नहरी भूमि अपीलाण्ट के कब्जा काश्त की भूमि है जो अपीलाण्ट के कब्जा काश्त में अर्सा दराज से चली आ रही है तथा रिकार्ड में दावा के रोज भी सिवाय चक काबिल काश्त दर्ज हाने से विवादित भूमि में खातेदारी अधिकारों की घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत वाद सहायक कलक्टर नोहर मु0 भादरा के यहां पेश किया था जो आज भी विचाराधीन है परन्तु रेस्पो0 सं0 1 को इस विवादित भूमि का अपीलाण्ट को आवंटन विधि विरूद्ध किया गया है। क्यों कि रेस्पो0 सं0 1 का विवादित भूमि पर कभी भी कब्जा नहीं रहा है। रेस्पोडेण्ट काश्तकारी पेशा व्यक्ति नहीं है तथा उक्त भूमि के आवंटन की पात्रता

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

आवंटन के रोज रखता था परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस बिन्दू पर कोई गौर नहीं किया है। रेस्पो0 सं0 1 भादरा जलदाय विभाग में सेवारत है तथा नोकरी पेशा व्यक्ति है जिनके पिता राजस्व विभाग में सेवारत होने से रस्पो0 स0 1 क नाम विवादित भूमि का आवंटन नियमों के विरूद्ध करवाया है जबकि आवंटन के रोज विवादित भूमि आवंटन के लिए उपलब्ध ही नहीं थी।

4. राजस्व रिकार्ड में सिवाय चक काबिल काश्त दिनांक 16.02.2006 पर दर्ज रही है तत्पश्चात् ई0 नं. 214 दिनांक 16.02.2006 को गैरखातेदारी दर्ज कर दी गई तथा इंतकाल नं. 215 से जब खातेदारी इन्द्राज दर्ज करने हेतु सहायक प्रभारी (तहसीलदार) विशेष अभियान कैम्प नेठराना के समक्ष इन्तकाल प्रस्तुत हुआ तो उस पर रेस्पो0 सं0 1 का कब्जा होने की रिपोर्ट एवं इन्तकाल सं0 215 खारिज किया गया है जिससे यह तथ्य कतई स्पष्ट है कि रेस्पो0 सं0 1 का आवंटन के बाद कभी कब्जा नहीं रहा है।

5. वादग्रस्त भूमि पर मु0 नं0 22 के किला नं. 19 में अपीलाण्ट की मौके पर ढाणी बनी हुई है जिसमें रिहायश है एवं मौका पर ढाणी बनी हुई है एवं प्रतिकूल धारण के आधार पर विवादित भूमि का खातेदार काश्तकार है इसलिए अपीलाधीन निर्णय कायम रहने योग्य नहीं है। रेस्पो0 सं0 1 के दिनांक 22.08.2006 को विवादित भूमि का कब्जा उसे दिये जाने एवं विवादित भूमि की खातेदारी रेस्पो0 सं0 1 की होने का जिक्र किया तब नामान्तरण की नकल प्राप्त की जिसमें रेस्पो0 सं0 1 के नाम गैर खातेदारी दर्ज किये जाने का पता लगा जिसमें आदेश क्रमांक 280 दिनांक 08.07.1985 का पता लगा तब अपीलाधीन आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने हेतु उपखण्ड अधिकारी नोहर के यहां पत्रावली आवंटन तलाश करवाई तब ना तो आवंटन पत्रावली संख्या का पता लगा न ही आवंटन पत्रावली उपलब्ध हुई। आवंटन पालना आदेश चित्रप्रति दिनांक 26.08.2006 को उपलब्ध होने पर विवादित रकबा के आवंटन के संबंध में पता चला पता चलते ही अपील प्रस्तुत कर दी है अपील ज्ञान से अन्दर मियाद है।

6. अपीलाधीन निर्णय से भूमि रेस्पो0 को आवंटित की गई है जबकि अपीलाण्ट द्वारा खातेदारी अधिकारों की घोषणा का वाद सहायक कलक्टर भादरा के यहां प्रस्तुत कर रखा है तथा विवादित भूमि पर अर्सा दराज से काबिज है एवं अपीलाधीन निर्णय पारित होने के दिन भी अपीलाण्ट काबिज था तथा लगातार काबिज चला आ रहा है इसलिए अपीलाण्ट खातेदार काश्तकार है। राजस्थान

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

सरकार के परिपत्र एफ4(16) कोलो/99 दिनांक 26.11.04 के आधार पर 1–1–95 से पूर्व लगातार पांच वर्षों तक काबिज अतिक्रमी का कब्जा नियमन करने के प्रावधान हैं। अगर अपीलाण्ट को अतिक्रमी भी माना जाता है तो जो स्वीकार नहीं है तो भी उसका कब्जा नियमन योग्य है। ऐसी सूरत में अपीलाधीन निर्णय के कायम रहने से अपीलाण्ट सीधे तौर से पीड़ित पक्षकार है। अधीनस्थ न्यायलाय की कार्यवाही में पक्षकार नही होने से बतौर तृतीय पक्षकार अपील प्रस्तुत करने का अधिकारी है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त फरमाया जावे। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में 1993 आरआरडी पेज 144, 1994 आरबीजे पेज 69, 1982 आरआरडी 497, 1982 आरआरडी पेज 237 के न्यायिक दृष्टान्त पेश किये।

7. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि आवंटन के समय रेस्पोडेण्ट राजकीय सेवा में नहीं था। आवंटन आदेश दिनांक 22.06.1985 को हुई है जबकि अपीलाण्ट ने यह अपील 2005 में 21 वर्ष बाद प्रस्तुत की है। धारा 96 सीपीसी के प्रावधान जहां अधीनस्थ न्यायलाय के द्वारा कोई वाद डिक्री किया जाता है तो उसकी अपील के साथ धारा 96 सीपीसी लागू होती है। उक्त भूमि रेस्पो0 को आवंटित की गई है ना कि उस पक्ष में कोई डिक्री की गई है। ऐसी सूरत में धारा 96 सीपीसी ग्राह्य नहीं है। अपीलाण्ट के द्वारा अपना कब्जा होना मानकर उक्त अपील प्रस्तुत की है। रेस्पो0 को आवंटित भूमि पर कब्जा करने मात्र से अपीलाण्ट के किसी प्रकार के अधिकार सृजित नहीं हेा जाते हैं साथ ही अधीनस्थ न्यायालय में कोई वाद विचाराधीन होने मात्र से अपीलाण्ट का कोई हक अधिकार सृजित नहीं हो जाता है। अतः अपील अपीलाण्ट ही खारिज किये जाने योग्य है।

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

8. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रालवी का अवलोकन किया।
9. धारा 96 सीपीसी के प्रार्थना–पत्र पत्र में अंकित तथ्यों के तथा प्रकरण का निस्तारण गुणागवुण पर श्रेयस्कर होने के कारण धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है।
10. प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर श्रेयस्कर होने के कारण अपीलाण्ट का धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। अपील प्रस्तुत

करने में हुए विलम्ब को क्षमा करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

11. जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है अपीलाण्ट ने यह अपील अपील उपजिलाधीश (राजस्व) नोहर के आदेश दिनांक 22.06.1985 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है जिसके द्वारा चक 4 एनटीआर मुरब्बा नं. 22 के किला नं. 1 ता 7 की व 19 की कुल 2.024 है. भूमि रेस्पो0 को आवंटित की गई है। अपीलाण्ट का कथन है कि प्रश्नगत भूमि पर उसकी कब्जा काश्त है। अपने कब्जे को नियमन करवाने के लिए अधीनस्थ न्यायालय में उसका वाद विचाराधीन है। अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व उसे सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है। हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। **अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.06.1985 संलग्न है। यह आदेश चक 4 एनटीआर के किला नं. 1 ता 7 व 19 की 8 बीघा के सम्बन्ध में है, जो रेस्पोडेण्ट के पक्ष में पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश सन्देहास्पद है क्योंकि पत्रावली मे रेस्पो0 द्वारा भूमि आवंटन करवाने के लिए कोई भी प्रार्थना–पत्र संलग्न नहीं है। यह आदेश किस प्रार्थना–पत्र की निरन्तरता में जारी किया गया है स्पष्ट नहीं है। इस आदेश को इन्डोर्समैण्ट नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में अन्य आदेश संलग्न है जो हाथ से लिखे गये हैं जबकि यह आदेश टाईपशुदा है। यह भी है कि रेस्पो0 सं0 1 भादरा जलदाय विभाग में सेवारत है तथा नौकरीपेशा व्यक्ति है।** उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने योग्य है एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

12. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है एवं उप जिलाधीश (राजस्व) नोहर का आदेश दिनांक 22.06.85 निरस्त किया जाता है। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

13. निर्णय आज दिनांक 28.02.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(आशाराम डूडी आरएएस)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़
राजस्व अपील अधिकारी,
हनुमानगढ

Signature Not Verified
Digitally signed by Asha Ram Dudi
Date: 2020.04.20 12:01:37 IST
Reason: SelfAttested
Location: